

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 8712 / FP/UK/ROAD/18062/2016 : देहरादून-दिनांक: 19 अप्रैल, 2021

सेवा में,

- 1 प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
- 2 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।

विषय:-जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत बिरमोला-रायल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.643 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/118/2016/एफ0सी0/166 दिनांक 30.04.2019 एवं पत्र दिनांक 19.11.2018 तथा इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र दिनांक 03.09.2019, दिनांक 12.06.2020 तथा 06.02.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। परन्तु वांछित सूचना Part-I, Part-II में अपलोड (संशोधित) किये बिना ही प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रसारित किया गया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के कई अनुस्मारक पत्रों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। खेद का विषय है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सूचना वर्तमान तक इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वन भूमि हस्तान्तरण जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों के ससमय निस्तारण करवाये जाने हेतु आपके स्तर से कोई रुचि नहीं ली जा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.04.2019 एवं 19.11.2018 की वांछित बिन्दुवार सूचना यथास्थान ऑनलाईन अपलोड कर इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सूचना के अभाव में विषयांकित प्रकरण यदि भारत सरकार द्वारा निरस्त/बंद किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

भवदीय,

\_\_\_\_\_

(डी0जे0के0 शर्मा) 29/4/21

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा  
पञ्जीकृत सं०... 7558  
पत्रावली सं०... 12/1/21  
दिनांक 19/4/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी चम्पावत।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा, को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण का भलि-भांति परीक्षण उपरान्त ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

पत्रांक R 7558 / 12-1 दिनांक 19/4/21

\_\_\_\_\_

(डी0जे0के0 शर्मा) 29/4/21

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत को  
इस निर्देश के साथ प्रेषित भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन  
आपकी का निराकरण करवाकर इसकी स्वयं भी परीक्षण करना  
सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,  
अल्मोड़ा